छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षोडश सत्र अंक-07

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023

(फाल्गुन 23, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 42 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न संख्या 06 (क्रमांक 591) प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री शिवरतन शर्मा के प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत की।)

(माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 725) प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री धरमलाल कौशिक के प्रश्न को आगे बढ़ाने (प्रश्न के वर्ग अनुसार आगामी तिथि में लिए जाने) का कथन किया।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 17 सितम्बर, 2018

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 16 जनवरी, 2020

(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 10 जून, 2020

(v) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 25 जनवरी, 2021

(vi) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 03 नवम्बर, 2022 तथा

(vii) अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2022/18, दिनांक 23 जनवरी, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य या राज्य विधान सभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम-निर्देशन हेतु अर्हताएं) नियम, 2022,

पटल पर रखा।

3. पृच्छा

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज कर जिला बदर की कार्यवाही करने के संबंध में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.11 बजे स्थगित की जाकर 12.21 बजे, समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने पुन: चर्चा की मांग की।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की ।

(पक्ष- प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.27 बजे स्थगित की जाकर 12.33 बजे, समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

पुन: सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, पुन्नूलाल मोहले सदस्य ने उपरोक्त विषय को लेकर चर्चा की मांग की ।

(पक्ष- प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.41 बजे स्थगित की जाकर 12.52 बजे, समवेत हुई।)

4. पृच्छा

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के ऊपर फर्जी प्रकरण दर्ज कराने, जिला बदर की कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए आसंदी से इस संबंध में किसी न किसी रूप में चर्चा कराये जाने की मांग की तथा आग्रह किया कि इसमें व्यवस्था आ जाए ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि आज मुख्यमंत्री के बजट पर और उसके बाद डिमाण्ड पर भी चर्चा है । उसमें सारी बातें कह सकते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आप जिस विषय पर मेरा ध्यानाकर्षण कराना चाह रहे थे, मैंने उसको सुना, मैं बाद में किसी ना किसी रूप में उस पर चर्चा करा लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने 06 मार्च को तारांकित प्रश्न संख्या-03 पर चर्चा के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश एवं राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की राशि के संबंध में विरोधाभासी उत्तर को लेकर उनके द्वारा दी गई अवमानना नोटिस के संबंध में आसंदी से व्यवस्था की मांग की।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उत्तर में भिन्नता के संबंध में आप सबने मेरा ध्यानाकर्षित किया है, मैं उसका परीक्षण करा लूंगा ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य ने प्रदेश में डी.एम.एफ. मद से स्वीकृत राशि में ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेन्सी नहीं बनाये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने प्रदेश में पॉलीटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में कमी होने की ओर तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन एवं रोजगार मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्री मोहन मरकाम
(3) श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
(4) श्री पुन्नूलाल मोहले
(5) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-8, सामरी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री चिंतामणी महाराज द्वारा मार्च, 2023 सत्र में दिनांक 13 मार्च, 2023 से 17 मार्च, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले
(2) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
(3) श्रीमती संगीता सिन्हा

9. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य ने पुनर्ग्रहित चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :- श्री बृजमोहन अग्रवाल,

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती छन्नी चंदू साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री रामकुमार यादव, केशव प्रसाद चन्द्रा, पुन्नूलाल मोहले, राजमन बेंजाम, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री धरमलाल कौशिक

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री आशीष कुमार छाबड़ा, रजनीश कुमार सिंह,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्य-सूची में सम्मिलित पद क्रम-6 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष,

10. बजट भाषण की पुस्तिका में संशोधन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट भाषण पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक-04 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक-13 की छठवीं पंक्ति में शब्द "मासिक" के स्थान पर शब्द "वार्षिक" पढ़ा जावे ।

11. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

रात्रि 9.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा